कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 19883/2019 श्रीमती रचना तिवारी बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांकः 26.02.2020 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः 03.07.2020 द्वारा श्रीमती रचना तिवारी, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राउमावि मुहाना, जयपुर से राउमावि चितम्बा जिला भीलवाड़ा) को माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन राउमावि मुहाना, सांगानेर जिला जयपुर में एवं दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर कार्यालय आदेश दिनांक 10.09.2020 द्वारा स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्रीमती अनिता का अन्तरिम समायोजन राउमावि चितम्बा जिला भीलवाड़ा में प्रधानाचार्य के पद पर किया गया था।

श्रीमती अनिता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) संख्या 584/2020 अनिता बनाम रचना तिवारी व अन्य (अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 19883/2019 रचना तिवारी बनाम सरकार व अन्य) दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2021 द्वारा माननीय एकलपीठ के अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 26.02.2020 को अपास्त कर दिया गया है।

माननीय न्यायालय की डिवीजन बैन्च द्वारा आदेश दिनांक 26.02.2020 को अपास्त कर दिये जाने के फलस्वरूप विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 श्रीमती रचना तिवारी एवं श्रीमती अनिता के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो गया है। अतः उक्त आदेश की अनुपालना में श्रीमती रचना तिवारी, प्रधानाचार्य राउमावि मुहाना, सांगानेर जयपुर को तत्काल कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि चितम्बा जिला भीलवाड़ा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें। श्रीमती अनिता को विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में राउमावि मुहाना, सांगानेर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/डी.बी स्पेशल रिट/584/अनिता/2020 **दिनांकः** 04/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/भीलवाड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)